

11. क्या निम्न सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की हैं?(हाँ/नहीं पर सही का टिक लगायें)

- 10वीं की अंकसूची
- आई.टी.आई की अंकसूची
- एनसीवीटी/एससीवीटी का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में
- जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में
- विकलॉग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में
- भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में
- ऑनलाईन आवेदन की कापी
- ऑनलाईन फीस की रसीद
- आधार कार्ड की कापी
- घोषणा पत्र
- आर.डी.ए.टी भोपाल का पंजीयन क्रमांक का प्रिंटआउट

हाँ	नहीं
हाँ	नहीं
हाँ	नहीं
हाँ	नहीं
हाँ	नहीं
हाँ	नहीं
हाँ	नहीं
हाँ	नहीं
हाँ	नहीं
हाँ	नहीं
हाँ	नहीं
हाँ	नहीं

12. वर्ष 2018 में इस कारखाने के अतिरिक्त एक्ट अप्रेंटिस के तहत आवेदन किया है तो उसका विवरण दें।

घोषणा पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....
यह घोषणा करता/ करती हूँ उपरोक्त दी गई जानकारी सही है। मैं यह भलीभाँति जानता/जानती हूँ कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत केवल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा/रही हूँ। इसके पश्चात रेल सेवा में नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है और ना ही रेल्वे में नियुक्ति की कोई दावा करूँगा/करूँगी। दस्तावेज सत्यापन के समय ही स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र निर्धारित चिकित्सा मानक में पास कर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करूँगा/करूँगी, आर.डी.ए.टी भोपाल की वेबसाईट पर जाकर स्वयं का पंजीकरण करना होगा एवं वहाँ से स्वीकृति मिलने के बाद ही चयन सूची में नाम आने पर प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे।

दिनांक :

स्थान: :.....

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

नाम :

पिता का नाम :

आवेदन सं :

मोबाईल नंबर :

ई-मेल :

स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र
MEDICAL FITNESS CERTIFICATE

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी..... पुत्र / पुत्री / पत्नी.....
.....का स्वास्थ्य परीक्षण अप्रेंटिस नियम 1992 के पैरा 4- में दिए मापदंडों के अनुसार जाँच
किया गया एवं इन्हें ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त घोषित किया जाता है।

दिनांक:-

हस्ताक्षर:-

नाम:-

पदनाम:-

कार्यालय सील

- टीप:-1. यह प्रमाण पत्र शासकीय प्राधिकृत चिकित्सक (राजपत्रित, जो केन्द्रीय / राज्य चिकित्सालय में
असिस्टेंट सर्जन के पद से नीचे न हो) द्वारा जारी किए जाने पर ही वैध माना जाएगा।
2. चिकित्सा परीक्षण के मापदंडों के लिए अधिसूचना क्रमांक 01 / 2018 दिनांक 21.12.2018
का (Annexure E) देखें।
3. स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र शासकीय चिकित्सालय के लैटर पैड पर जारी किया गया हो
अन्यथा प्रमाण पत्र में चिकित्सालय का पूरा नाम, पता व दूरभाष क्रमांक का उल्लेख किया
जाना अनिवार्य है।